न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 76/2013/76 एलआर एक्ट

1. राजेन्द्र पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मांगीलाल पुत्र बनामराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. विधादेवी पत्नि अमीलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. शारदा पुत्री अमीलाल (फौत)

1/1 सुरेन्द्र पुत्र पूनमचन्द (माता शारदा) जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/2 बंशीलाल पुत्र पूनमचन्द (माता शारदा) जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/3 रणसिंह पुत्र पूनमचन्द (माता शारदा) जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2. ओमप्रकाश पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. तखी पुत्री बनुराम उर्फ बनाराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. रामेती पुत्री बनुराम उर्फ बनाराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. सन्तोष पुत्री बनुराम उर्फ बनाराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. चन्द्रावली पुत्री बनुराम उर्फ बनाराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. सुमन पुत्री बनुराम उर्फ बनाराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. गीता पुत्री अर्जुनराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 10.06.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्र0सं0 01/2013 अनवानी स्टेट बनाम विधादेवी आदि

उपस्थित :–
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांटस
श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंटस
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 9

निर्णय दिनांकः–15.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि चक भूकरका के खसरा नं. 319 की 4.047 है0 व खसरा नं. 444 की 4.287 है0 कुल 8.334 है0 अपीलांट सं. 1 व रेस्पो0 सं. 1, 2

को बहिब 1/3 हिस्सा व अपीलांट सं. 2 व रेस्पो0 सं 3 ता 7 के पिता स्व. बनाराम उर्फ बनुराम एवं अपीलांट सं. 1 व रेस्पो0 सं. 8 के पिता अर्जनराम को बहिब 2/3 हिस्सा राजस्थान उपनिवेशन भाखड़ा क्षेत्र मे सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियमन 1975 व 1955 के अन्तर्गत कृषि भूमि का स्थाई आवंटन दिनांक 28.03.2008 को किया गया तभी से प्रश्नगत भूमि पर आवंटन शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है तथा आवंटी प्रश्नगत भूमि की समस्त आवंटन राशि खजानाराज मे जमा करवाने के उपरांत आवंटी के हक मे दिनांक 07.11.2012 को खातेदारी सनद नियमानुसार जारी कर दी गई थी परन्तु अपीलाधीन निर्णय के जरिये विचारण न्यायालय द्वारा कतई एकपक्षीय तौर से प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान 2031 मे लेने का आधार लेते हुए पूर्व मे जारी खातेदारी अधिकारो को प्रत्याहरण किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया होने से कतई अवैध व शून्य है, क्योंकि आवंटी बनाराम व अर्जुनराम पुत्र खीयाराम अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व फौत हो चुके थे अपीलांट सं. 1, 2, 3 ता 8 उनके वारिसान है इस प्रकार मृत आवंटी के वारिसान को बिना पक्षकार बनाये एवं नोटिस दिये अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं कतई एकपक्षीय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा रोही मौजा भूकरका के खसरा नं. 444 की भूमि मास्टर प्लान 2031 मे होने के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि अपीलांट को नगरपालिका नोहर का पत्रांक भूमि/2013–14/514 दिनांक 29.05.2013 उपलब्ध हुआ है जिसमे ग्राम भूकरका के खसरा नं. 319, 342, 443, 444 का रकबा नगरपालिका मास्टर प्लान 2031 की सीमा मे स्थित नही होने के कथन किये गये है जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि ना तो मास्टर प्लान 2031 मे है और ना ही नगरपालिका मास्टर प्लान 2031 की सीमा मे स्थित है। विचारण न्यायालय द्वारा कतई विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट सं. 1, 2 को बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस मे कथन किया कि भूकरका के खसरा नं. 319 की 4.047 व खसरा नं. 444 की 4.284 है0 कुल 8.334 है0 भूकरका से गुजरने वाली पक्की सड़क के दक्षिणी तरफ है, राजकीय अधिसूचना के अनुसार नोहर के मास्टर

प्लान एवं नगरीय क्षेत्र की पैराफेरी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसके खातदारी अधिकार राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 18.01.2010 के अनुसार राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन बिना नही दिये जा सकते है एवं जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत संदाय करने पर ही खातेदारी दिये जा सकते है। इसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व मे जारी सनद सं. 1527 दिनांक 07.11.12 दी गई खातेदारी हक का प्रत्याहरण कर राजस्थान कोलोनाईजेशन के नियम 1955 के धारा 10 के तहत पुनः गैर खातेदारी अंकित किये जाने के आदेश पारित किये है। जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्र क्रमांक भू–अ0/2013/1324 दिनांक 31.05.13 के द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि मौका नक्शा देखने पर पाया गया कि ग्राम भूकरका के खसरा नं. 319 की 4.047 व खसरा नं. 444 की 4.284 है0 कुल 8.334 है0 भूकरका से गुजरने वाली पक्की सड़क नोहर–रावतसर से दक्षिणी दिशा मे स्थित है, राजकीय अधिसूचना के अनुसार नोहर रावतसर सड़क के दक्षिणी भाग मे स्थित भूमि नगरपालिका नोहर के मास्टर प्लान एवं नगरीय क्षेत्र की पैराफेरी क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 18.01.2010 के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र के मास्टर प्लान एवं पैराफेरी क्षेत्र मे आने वाली भूमियों के खातदेारी अधिकार राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन बिना नही दिये जा सकते है एवं जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत संदाय करने पर ही खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है। इसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व मे जारी सनद सं. 1527 दिनांक 07.11.12 दी गई खातेदारी हक का प्रत्याहरण कर राजस्थान कोलोनाईजेशन के नियम 1955 के धारा 10 के तहत पुनः गैर खातेदारी अंकित किये जाने के आदेश पारित किये है। जबकि नगरपालिका नोहर के पत्रांक भूमि/2013–14/514 दिनांक 29.05.2013 के अनुसार ग्राम भूकरका के खसरा नं. 319, 442, 443 और 444 का रकबा नगरपालिका मास्टर प्लान 2031 की सीमा मे स्थित नही है तथा अपीलांट के कथनानुसार अपीलाधीन आदेश उक्त रिपोर्ट के बिना अवलोकन किये तथा बिना प्रभावित पक्षकार को सुने एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय बिना प्रभावित पक्षकार को सुने एवं बिना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये अपीलांट के हक पूर्व मे जारी सनद सं. 1527 दिनांक 07.11.12 दी गई खातेदारी हक का प्रत्याहरण कर राजस्थान

कोलोनाईजेशन के नियम 1955 के धारा 10 के तहत पुनः गैर खातेदारी अंकित किये जाने के आदेश पारित किये है जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांटस को बतौर पक्षकार के रूप मे संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नियमानुसार राशि जमा करवा कर खातेदारी अधिकार दिये जाने संबंधी कार्यवाही करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.04.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ